

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक.....तक
जिला - गिरिडीह संख्या ANL/ANL/02 सन् 2023-24.
केश का प्रकार विवाद

आदेश की कम 10 ए0 तिथि	पदाधिकारी का आदेश हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में लिखणी आदेश सहित
11.04.2023	आवेदक मिथिलेश महतो पिता स्व. बसदेव महतो ग्राम खमदा टोसा तुसाडीह धाना - डुमरी जिला - गिरिडीह द्वारा मौजा खमदा खाता सं 1/180 प्लॉट सं 1015 रकबा 0.84 ए भूमि जो मेरे दादा बुधन महतो को फर्चा द्वारा हासिल है। परन्तु मेरे ही गाँव के लोग रामेश्वर महतो पिता तेजो महतो, हिरासाह महतो पिता - महावीर महतो, प्रमेश्वर महतो पिता तेजो महतो, दुषारचंद महतो पिता - रूपसाह महतो, जालेश्वर महतो दा नागेश्वर महतो पिता गोपाल महतो, कार्तिक महतो पिता कैलाश महतो, पप्पु कुमार महतो पिता रेवतसाह महतो, दर्शन महतो पिता लालमन महतो सभी साकिन खमदा द्वारा दिनांक 08.04.2023 को बाजवरन मेरा भूमि पर नींव खोद रहे हैं एवं दीवार खड़ा कर रहे हैं। मना करने पर जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। इन्होंने निर्माण कार्य पर अविलम्ब रोक लगाने हेतु अनुरोध किया है। राजस्व उपमिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 12.04.2023 को प्रस्तुत करें। <i>(हस्ताक्षर)</i> अंचल अधिकारी डुमरी	
12.04.23	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपमिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। इन्होंने प्रतिवेदन किया है कि मौजा खमदा खाता सं 01 प्लॉट सं 1015 रकबा 55 ए मध्ये 0.84 ए गैरमजसूदा खाता खाते की भूमि है। किस्म जंगल दर्ज है। प्रथम पक्ष मिथिलेश महतो पिता स्व. बसदेव महतो साकिन खमदा टोसा तुसाडीह द्वारा उक्त भूमि से संबंधित फर्चा दिवाया गया जिसकी लगावेंदी मंजी प्र के पृष्ठ सं 153/1 पर बुधन महतो के नाम पर दर्ज है। आवेदक मिथिलेश महतो द्वारा आपत्ति की गयी है कि उक्त प्लॉट पर उनके गोतिया द्वारा काम किया जा रहा है, जिस मु.भाग पर काम किया जा रहा है। उस पर आवेदक अपना दावा कर रहे हैं। वर्तमान में उक्त प्लॉट में हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। प्रथम पक्ष मिथिलेश महतो पिता स्व. बसदेव महतो साकिन खमदा एवं द्वितीय पक्ष रामेश्वर महतो दा प्रमेश्वर महतो पिता तेजो महतो ② हिरासाह महतो पिता महावीर महतो ③ दुषारचंद महतो पिता रूपसाह महतो ④ जालेश्वर महतो दा नागेश्वर महतो पिता गोपाल महतो ⑤ कार्तिक महतो पिता कैलाश महतो ⑥ पप्पु कु. महतो पिता रेवतसाह महतो ⑦ दर्शन महतो पिता लालमन महतो सभी साकिन	

समझा टोसा तुसावीह को नोटिस निर्गत कर कागजात की मांग की जा सकती है।

उक्त लॉच प्रतिवेदन के आसोफ में 2 उग्रय पत्तो को नोटिश निर्गत करें। अगिलेख दिनांक 25.04.2023 को रखें।

25.04.23
अंचल अधिकारी
इमरी

25.04.2023

अगिलेख उपस्थापित। उग्रय पत्त उपस्थित एवं हाजिरी दारिख। द्वितीय पत्त उपस्थित परंतु इनके द्वारा लिखित हाजिरी दारिख नहीं किया गया। दोनों पत्तो के द्वारा देवकी पाण्डेय बनाम बदन महतो व चैता महतो वलदेन मुना महतो, अघनु महतो वलद टेको महतो, गोपाल महतो वलद पुरन महतो, आवना महतो वलद मूची महतो, बलदेव महतो वलद बुधन महतो ने पारित आदेश की प्रति संलग्न की गयी है। आवेदक मिथिलेश महतो ने आवेदन दिया है कि बाजबहन द्वितीय पत्त जमीन पर नींव खोद रहे है। ऐसी परिस्थिति में वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य से वंचित किया जाता है। Title Suit वाद सं 22/61 के अद्यतन के पश्चात वाद का निस्तारण किया जायेगा। अगिलेख दिनांक 09-05-2023 को रखें।

09.05.23
अंचल अधिकारी
इमरी

09.05.2023

अगिलेख उपस्थापित। उग्रय पत्त अनुपस्थित। अनुवाई समिति। वाद दिनांक 23.05.23 को रखें।

23.05.23
अंचल अधिकारी
इमरी

23.05.2023

अगिलेख उपस्थापित। उग्रय पत्त उपस्थित एवं हाजिरी दारिख। Title Suit वाद सं 22/61 में पारित आदेशानुसार Pleader Commissioner Baidik के द्वारा बनाये गये नक्शे के आधार पर अंचल अमीन प्रतिवेदन देंगे कि मिथिलेश महतो एवं रामेश्वर महतो वगैरे की जमीन का सीमांकन वारनो हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। अगली तिथि भापी रिपोर्ट पश्चात निर्धारित करेंगे।

23.05.23
अंचल अधिकारी
इमरी

24.01.2024

अग्निसेख उपस्थापित। अंचल क्षत्री का मापी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जो अग्निसेख बंद है। आवेदक द्वारा मापी कार्य में आपत्ति जताई गयी जिससे मापी कार्य पूर्ण नहीं हो सका। बिना मापी कार्य पूर्ण किये बिना वाप का निष्पादन नहीं किया जा सकता। चूंकि उक्त भूमि और खास किस्म जंगल पर्व है। किसी भी निर्माण कार्य पर अन्य पक्षों को प्रतिबंधित किया जाता है। इसी के साथ वाप की नार्मवाही बंद की जाती है।

लेखापत्र एवं संशोधित

24.01.24

अंचल अधिकारी
उमरी

24.01.24

अंचल अधिकारी
उमरी